23/5/18 पत्रावली अन्य न्यायालय आपिल हेतु केस सिंघाना में पेश हुई। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का अवलोकन किया। प्रकरण के गुण दोष का निस्तारण हो चुका है इसलिये प्रार्थना पत्र द्वितीय अपील का पंजीयन जाना कोई औचित्य नहीं रखता है। अतः प्रार्थी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास केस कोर्ट सिंघाना के सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner